न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 37 / 2005 (आरसीएमएस संख्या : 2005 / 00023)
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री लादू, जाति–दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. छोटूराम पुत्र श्री लादू, जाति–दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. प्रभूलाल पुत्र श्री लादू, जाति–दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. बालकिशन पुत्र श्री लादू, जाति–दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर। (मृतक)
   4/1 भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री बालकिशन, जाति– दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   4/2 गीता देवी पत्नी स्व0 श्री बालकिशन, जाति– दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   4/3 मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री बालकिशन, जाति– दरोगा, निवासी–लदाना, तहसील–फागी, जिला–जयपुर। (मृतक)

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन / वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

<u>निर्णय</u> दिनांक : **24.12.2019**

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–लदाना की आराजी खसरा नं0 1626 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा भूमि माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह पुजारी सीतलदास चेला श्री राघवदास कौम–स्वामी, साकिन देह कृषक लादू पुत्र श्री जगन्नाथ जाती दरोगा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के लादू पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–दरोगा, सा0 देह के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या–1685 खातेदार लादू के बजाय रमेश छोटूराम प्रभूलाल बालकिशन के नाम दर्ज की गई। जिसके परिणाम–स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में खातेदारी रमेश वगैराह के नाम दर्ज है।

जो पुनः माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम–लदाना की आराजी खसरा नं0 1626 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा भूमि माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह पुजारी सीतलदास चेला श्री राघवदास कौम–स्वामी, साकिन देह कृषक लादू पुत्र श्री जगन्नाथ जाती दरोगा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के लादू पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–दरोगा, सा0 देह के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या–1685 खातेदार लादू के बजाय रमेश छोटूराम प्रभूलाल बालकिशन के नाम दर्ज की गई। जिसके परिणाम–स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में खातेदारी रमेश वगैराह के नाम दर्ज है। जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, जरिये डिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गए है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह के के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011–2030 में माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह पुजारी सीतलदास चेला श्री राघवदास कौम–स्वामी, साकिन देह दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

न्यायालय अति. आयुक्त ... जयपुर

प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का डिक्री/हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी से यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा मंदिर की आराजी को काश्त किया गया है, को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में विद्यमान है। माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह पुजारी सीतलदास चेला श्री राघवदास कौम–स्वामी, साकिन देह की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना गया है और उसको खातेदारी अधिकार दिये जाना अविधिक हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह पुजारी सीतलदास चेला श्री राघवदास कौम–स्वामी, साकिन देह की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में निजी खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या–1685 ग्राम–लदाना वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी देन ठिकाना पुन्यार्थ नरसिंह जी वाके देह के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 11.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर